संख्या : / /जी0एस0(शिक्षा)/ A3-108/2020

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2022**

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या : 437/मान्यता/के0यू0/2021 दिनांक 20.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा राजकीय महाविद्यालय, किच्छा, ऊधमसिंहनगर को बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021–22 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	राजकीय महाविद्यालय, किच्छा, ऊधमसिंहनगर।	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र)	80 सीट प्रति विषय	2021–22

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।
- उक्त महाविद्यालय के मानक यथा भवन, पुस्तकालय, पुस्तकें तथा फर्नीचर इत्यादि मानकानुसार पूर्ण नहीं हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को बी0ए0 पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। क्या अपूर्ण मानकों के कारण महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के हित प्रभावित नहीं होंगे? महाविद्यालय वर्ष 2019 से संचालित है तथा 03 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी महाविद्यालय में ढांचागत सुविधाओं का अभाव है। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए आख्या मा0 कुलाधिपति महोदय के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- विश्वविद्यालय छात्र हित में उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने के 02 माह के भीतर अपूर्ण मानक U.G.C विनियम/नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण करायेगा तथा जिन मानकों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन/उच्च शिक्षा विभाग से कार्यवाही अपेक्षित हो, इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र संख्याः 2131 दिनांक 07 सितम्बर, 2022 के कम में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन आख्या मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ इस सचिवालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।
- अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन से निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2466 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-108/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, किच्छा, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : —/जी0एस0(शिक्षा)/A15-11/2019

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2022**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 3706 दिनांक 09 जुलाई, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, काशीपुर को बी0–एससी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में 50 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (यथा संशोधित) की धारा–36 (1) की व्यवस्थानुसार संस्थान को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, खोखराताल, धीमरखेड़ा, काशीपुर, (ऊधमसिंहनगर)	बी0–एससी0 (नर्सिंग)	50 सीट	2019–20

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Trust Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यकमों के सम्बन्ध में पाठ्यकमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना एवं प्रश्नगत पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नियामक संस्था से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसकी सत्यापित प्रति इस सचिवालय को उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।
- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा अध्ययन छात्रों के प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु किये गये M.O.U सम्बन्धी साक्ष्य इस सचिवलय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2464 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A15-11/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, काशीपुर, (ऊधमसिंहनगर)।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।